हिमाचल राज्य मांग पत्र

'हम अगर उठे नहीं तो...5 सितंबर 2020'

हम हिमाचल में मानव अधिकार एवं जन हित के विभिन्न मुद्दों पर कार्यरत 30 से अधिक संगठन 'हम अगर उठे नहीं तो..' राष्ट्रीय अभियान के लिए एक मंच पर साथ आये हैं. इस देशव्यापी अभियान के माध्यम से हम संवैधानिक मूल्यों और जन अधिकारों के मुद्दे उठा रहे हैं।

पिछले पांच महीनों में जब से देश वैश्विक महामारी से ग्रस्त हुआ है और राष्ट्र व्यापी तालाबंदी हुई है, इस ने हमारे राजनीतिक, आर्थिक और सामाजिक व्यवस्था की घोर खामियों और गंभीर अभाव को नंगा कर दिया है। आज लाखों की संख्या में जनता के सबसे कमज़ोर तबके खासकर महिला, दलित, अल्पसंख्यकों, आदिवासियों, किसानों, ट्रांसजेंडर्स लोगों को अपने जीवन और स्वाभिमान के लिए अनगिनत संघर्षों का सामना करना पड़ रहा है। इन विभिन्न समुदायों द्वारा झेली गई खुली और गुप्त हिंसा की निंदा की जानी चाहिए।

इस दौरान, सरकारों ने सार्वजनिक हित में जवाबदेही की बजाए एक एडहॉक (तदर्थ), केंद्रिकृत और गैर संवेदनशील रवैय्या अपनाया। सार्वजनिक स्वास्थ्य और बुनियादी ढांचे को मजबूत करने के बजाय, मजदूरों व उन किसानों को जिन्होंने अपना रोजगार उनकी आर्थिक मदद करने के बजाय, राज्य लगातार सार्वजनिक संसाधनों का निजीकरण करने के लिए कार्य कर रहा है, जनता और पर्यावरण को 'ease of doing business (कारोबार करने में सुगमता)' के नाम से बेचा जा रहा है, डिजिटल निगरानी बढ़ाई जा रही है, और उन आवाजों को को दबाया जा रहा है जो कि जवाबदेही, पारदर्शिता और न्याय की मांग कर रही हैं।

हिमाचल प्रदेश, जिस को देश में एक प्रगतिशील राज्य के तौर पर देखा जाता है, में पिछले कुछ दशकों से हमने देखा है कि न केवल जनहितैषिता नीतियां व शासकीय प्रक्रियाएं क्षीण होती जा रहे हैं बल्कि सामाजिक और आर्थिक धुर्वीकरण भी बढ़ रहा है। नफरतों से भरे संदेश व फर्जी खबरें राज्य में दलितों और अल्पसंख्यकों पर हमलों का कारण बन रही हैं। हिमचाल की बेरोजगारी दर अभूतपूर्व स्तर पर पहुंच गई है और नौजवान गंभीर मानसिक स्वास्थ्य संकट में फसें हो जो आत्महत्या व नशों की तरफ धकेले जा रहे हैं। लॉकडाउन के दौरान राज्य में महिलाओं पर बर्बर घरेलू व लैंगिक हिंसा के मामले तेजी के साथ बढ़े हैं। घरेलू स्तर पर पुनरपलायन (reverse migration) ने महिलाओं पर अतिरिक्त कार्यभार डाल दिया है।

जैसे ही स्कूल लॉकडाउन में आ गए तो ऑनलाईन शिक्षा का मंत्र फूंक दिया गया और परिजनों को पालतू पशु बेच कर स्मार्टफोन खरीदने को मजबूर होना पड़ा। शिक्षा का निजीकरण घोर गरीब परिवारों की जेबों को बुरी तरह से काट रहा है। कृषि व्यवस्था की बहुत सारी खामियों को दूर करत हुए किसानों की जीविका को मजबूत करने के बजाए, घुमंतु व भूमिहीन समुदायों के अधिकारों को सुनिश्चित करने की बजाए, राज्य सरकार हवाई अड्डे, हाईड्रो प्रोजेक्ट्स, फोर लेन हाईवे के निर्माण पर जोर दे रही है। एक ऐसा राज्य जो पहले से ही विभिन्न जलवायु और प्राकृतिक संकटों की चपेट में है, अगर लोगों की आजीविका प्रणालियों की सुरक्षा नहीं की गयी तो आने वाले समय में यहाँ की सामजिक, आर्थिक और राजनैतिक हालात भयावह होते जायेंगे।

इसी सन्दर्भ में हम सभी संगठन यह साझा ज्ञापन सौंपना चाहते हैं:

I. औरतों के खिलाफ हिंसा पर रोक

- राष्ट्रीय महिला हेल्पलाइन 181 और अन्य राज्य हेल्पलाइन जैसे कि 103, 102, 1090 आदि हर समय कार्यरत रहें
- घरेलू या सार्वजनिक क्षेत्र में लिंग आधारित हिंसा की सभी शिकायतों की दर्ज करने और उन पर कार्रवाई करने के लिए पुलिस को संवेदनशील और निर्देशित किया जाना चाहिए
- सभी जिला कानूनी सेवा प्राधिकरण के दफ्तर कार्यात्मक होने चाहिए. फ़ास्ट ट्रैक और आभासी अदालतों सहित सभी न्यायालयों को संरक्षण, निवास, रखरखाव और बाल हिरासत के आपातकालीन आदेशों को पारित करने के लिए कार्य करना चाहिए
- सभी पुलिस स्टेशनों/ थानों में अनिवार्य रूप से पीड़ितों की सहायता और सहारे (महिला, बच्चे और अन्य कमज़ोर समूह) के लिए पर्याप्त संख्या में महिला पुलिसकर्मी होनी चाहिए
- वन स्टॉप सेंटरनंबर (सखी केंद्र) पूरी तरह से कार्यशील रहने के लिए और प्रत्येक जिले में महिलाओं के लिए आश्रय गृह बनाए और चलाए जाने चाहिए
- हेल्पलाइन, वन स्टॉप क्राइसिस सेंटर और अन्य सभी सहायता सेवाओं के बारे में प्रचार और जागरूकता सभी मीडिया प्लात्फोर्मो मर आयोजित की जानी चाहिए
- सीमावर्ती ज़मीनी कार्यकर्ताओं का संरक्षण और सहायता के प्रावधान करे जाएं

II. दलित और अल्पसंख्यकों के अधिकारों को सुरक्षा

- भूमिहीन गरीब, सिंमात वन आश्रितों और दलित समाज के लोगों की बेदखली बंद की जाए - शामलात और वन भूमि पर दलितों के अधिकार भाल किये जाएँ - भूमि आवंटन की स्कीम को तुरंत लागू किया जाए।
- भेदभाव मुक्त शिक्षण संस्थान के लिए एक अभियान शुरू करे, खुला शौच मुक्त पंचायत की तर्ज पर भेदभाव मुक्त पंचायत, जिले के अभियान।
- प्रदेश में बंगाली घुमन्त.बिमुक्त समुदायों, एकल महिलाओं, जनजातीय दलितों तथा अल्पसंख्यकों की पहचान करके उनके अधिकारों और न्याय पूर्ण हिस्सेदारी के लिए समावेशी नीति बनाई जाए।
- प्रदेश सरकार द्वारा आवासीय भूमिहीनों के लिए बनाई गई आवासीय भूमि योजना में 50,000 रूपये की वार्षिक आय सीमा की शर्त से सफाई कामगारों (बाल्मीकी) समुदाय, बंगाली समुदाय, गुज्जरों, एकल महिलाओं, दिब्यागों तथा अनुसूचित जाति के आवासीय भूमिहीनों को बाहर रखा जाये।
- आन्ध्र प्रदेश और कर्नाटक राज्य की तर्ज पर हिमाचल प्रदेश में अनुसूचित जाति, जन जाति उप योजना कानून बनाया जाए।
- राज्य एस.सी आयोग की स्थापना की जाये - ताकि हिंसा के मामले का जल्द से जल्द निपटारा किया जाए।
- राज्य में संवैधानिक मूल्यों - ख़ास कर धर्म और जाति नाधारित भेद भाव और गैर बराबरी को ख़त्म करने के लिए -मीडिया के माध्यम से प्रचार प्रसार किया जाए।
- फेक न्यूज़ और नफरत तथा डर फैलाने वाले तत्वों पर तुरंत कार्यवाही की जाए ।
- CAA, NRC, NPR जैसे कानूनों जो समाज में ध्रुवीकरण बढ़ाएंगे को रद्द किया जाए ।
- सरकार से जवाबदेही मांगने वाले और अन्याय के खिलाफ संघर्षशील सामाजिक और राजनैतिक कार्यकर्ताओं का दमन बंद हो ।

III. युवाओं के मानसिक तनाव पर कार्य

- देश में नौजवानों की नौकरियों को लेकर बनी हुई असुरक्षा को ख़त्म करने के कृषि आधारित लघु उद्द्योग को बढ़ावा दिया जाए, सरकारी क्षेत्र में नौकरियों पैदा की जायें| साथ में ही पुरानी भर्तियों को पूरा किया जाये।
- शिक्षा में स्टूडेंट्स के दबाब को कम करने के लिए शिक्षा नीति में किया गया बदलाव वापिस लिया जाये और शिक्षा का बाजारीकरण, निजीकरण, भगवाकरण बंद किया जाये ताकि हर स्टूडेंट्स शिक्षा प्राप्त कर सके|
- रोज़गार के साथ-साथ परामर्श प्रोग्राम करवाए जाये यहाँ पर वह अपनी समस्याओं पर विचार चर्चा कर सके और मदद के लिए टेलिफोन सेवा जारी की जाये|बेरोजगारी भत्ता प्रदान किया जाए।
- नौजवानों को नशे से बचाने के लिए हर संभव प्रयास किये जाएं। डिप्रेशन से ग्रस्त नौजवानों के लिए मनोचिक्तस्कों की फ्री सेवा प्रदान की जाए।
- गांव, बस्तियों व शिक्षण संस्थानों में वैज्ञानिक सांस्कृतिक कार्यक्रम और खेल-कूद से जुड़ी गतिविधियों को बढ़ाया जाए।

IV. शिक्षा का अधिकार सबको

- राश्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 को संसद में चर्चा के लिए पटल पर रखा जाए ।
- कोविड़-19 महामारी के दौरान प्रभावित हुए प्रवासी परिवारों से संबंध रखने वाले बच्चों को शिक्षा का अधिकार स्वास्थ्य सुविधाएं व सही पोशण प्रदान किया जाए ।
- शिक्षा के अधिकार अधिनियम 2009 को पूरी तरह से लागू करना सुनिष्चित किया जाए और स्कूली शिक्षा का सर्वव्यापीकरण किया जाए ।
- आनलाइन के माध्यम से अनुदेशां /हिदायतों को रोका जाए और अन्य विकल्प तलाश किए जाएं ।
- शिक्षा के व्यापारीकरण को रोका जाए गैर राज्यीय हस्तक्षेप को नियन्त्रित करने के लिए उचित कदम उठाए जाएँ।
- दलित, आदिवासी, अल्पसंख्यक बच्चे, अक्षम बच्चे, बालिकाएँ तथा अन्य कमजोर वर्ग के बच्चों के लिए शिक्षा मे आने वाले विषिश्ट बाधाओं को शामिल किया जाए ।
- विद्यालयों के युक्तिकरण को समाप्त किया जाए।
- विद्यालयों के पुनः खुलने से पूर्व उन्हें उचित ढंग से संक्रमण मुक्त करने तथा उनकी साफ सफाई संबन्धी उचित सुविधाएं प्रदान की जाएँ।
- अध्यापकों के रिक्त पदों को तुरन्त प्रभाव से भरा जाए और उनके शेष बचे वेतन और भत्तों का भी तुरन्त प्रभाव से भुगतान किया जाए।

V. प्रवासी मजदूर को सुरक्षा

- कोविड-19 के दौरान किये गये राशन वितरण, प्रवासी मज़दूरों से जुड़ी सारी जानकारी और अभी चल रही सरकारी योजनाओं व स्कीमों के बारे में जानकारों को साझा और सामूहिक की जाये|
- राज्य में प्रवासी मज़दूरों की स्थितियों पर एक सरकारी मसौदा बनाना : इसके लिए एक उच्च स्तरीय कमेटी/टास्क फ़ोर्स का गठन कर मज़दूरों की आज की स्थितियों तथा आवश्यकताओं पर एक सर्वेक्षण तथा रिपोर्ट अगले 6 माह के अन्दर जारी होनी चाहिए |

- सभी प्रवासी मज़दूरों को राशन कार्ड की अनिवार्यता हटाते हुए, राशन वितरण प्रणाली की सुविधाएँ उपलब्ध करायी जाएँ | इसके अलावा उनकी रोज़गार गारंटी, स्वास्थ्य व सामाजिक सुरक्षा सरकार द्वारा सुनिश्चित की जाये तथा प्रवासी मज़दूरों के बच्चों की शिक्षा के लिए सुविधाओं को मज़बूत और सरल भी किया जाए |
- आवास सुविधाएँ : प्रवासी व अन्य सभी मज़दूर जो हिमाचल में सफ़ाई कर्मचारी , नगर पालिका व अन्य सरकारी विभागों में कार्यरत कामगार हैं और झुग्गी- झोपड़ी में रहने वाले दिहाड़ी या ठेकेदारी मज़दूर को प्रधानमंत्री आवास योजना व अन्य योजनाओं के तहत आवास सुविधा दी जाए ।
- पंचायत, ब्लाक, तहसील और जिला स्तर पर उनकी मदद के लिए हेल्पडेस्क तथा शिकायत निवारण प्रणाली को स्थापित और क्रियान्वित करना चाहिए |
- राज्य के श्रम कानूनों में किये गये बदलावों को को जल्द से जल्द रद्द किया जाना चाहिए और मज़दूरों के अधिकारों का हनन न हो यह सुनिश्चित करने के लिए सभी मौजूदा कानूनों के क्रियान्वयन के लिए श्रम विभाग द्वारा तुरंत कदम उठाये जाने चाहिए |
- ISWMA 1979 के अंतर्गत प्रदेश में काम कर रहे सभी प्रवासी मज़दूरों के पंजीकरण को अनिवार्य बनाना|
- मजबूरन पलायन को रोकना और स्थायी आजीविका के साधन जिसमें - कुशलता बढ़ाना, ज़मीन/जंगल और प्राकृतिक संसाधनों पर आधारित आजीविकाओं और परंपरागत आजीविकाओं/कुटीर उद्योगों, कृषि को मज़बूत करने के लिए नीतियाँ बनाना शामिल हो |

VI. कृषि संकट के लिए ज़रूरी कदम

- भू-उपयोग के परिवर्तन को रोकना - बहुमूल्य खेती और वन भूमि का गैर-कृषि उपयोग, विशेष रूप से बड़े पैमाने पर विकास परियोजनाओं के लिए अधिग्रहित नहीं किया जाय।
- परम्परागत बीजो और फसल की किस्मों को बढ़ावा देकर पोषण सुरक्षा - खाद्य संप्रभुता सुनिश्चित करें।
- पर्वतीय राज्यों में खेती को व्यवहार्य बनाने के लिए खेतों के साथ पशुधन और वन संपर्क को पुनर्जीवित करना।
- भारतीय खाद्य निगम से गेहूं और चावल के आयात पर निर्भरता कम करना।
- पहाड़ी खेती के स्थायी और गैर-रासायनिक रूप को बढ़ावा देना।
- उत्पादकों की आय पर समझौता किए बिना अन्य उपलब्ध पारंपरिक व जैविक विकल्प प्रदान करके रासायनिक उर्वरकों के उपयोग का प्रतिबंध।
- सहकारी-साझी और प्राकृतिक-कृषि (एग्रो-इकोलॉजी) के तहत लाकर परती और बंजर भूमि को समेकित किया जाए।
- महिलाओं / एकल महिला मुखिया परिवार व भूमिहीन परिवारों को विकेंद्तरित तरीके से, सहभागी बना कर भूमि प्रदान की जाए।
- परियोजनाओं के लिए भूमि अधिग्रहित करते समय उचित मुआवजा और पुनर्वास अधिनियम 2013 का पूर्ण और निष्पक्ष अमल किया जाए।

VII. जल-जंगल-ज़मीन पर अधिकार और प्राकृतिक संरक्षण

- पर्यावरण प्रभाव आंकलन अधिसूचना का केंद मंत्रालय द्वारा जारी 2020 मसौदा रद्द किया जाए।
- राज्य में जल विद्युत् परियोजनाओं ख़ास कर बड़ी परियोजनाओं पर तुरंत रोक लगनी चाहिए और इनके प्रभावों पर एक बहु आयामी अध्ययन करना चाहिए।

- स्पीती और चेनाब नदियों को अविरल घोषित कर उन पर जल विद्युत् परियोजनाएं नहीं बनायीं जायें।
- फोर-लेन सड़कों के निर्माण पर तुरंत रोक लगनी चाहिए।
- वन अधिकार कानून को तुरंत लागू किया जाये और लंबित दावों पर कार्यवाही के लिए जिला और उप-खंड स्तरीय समितियों की बैठकें की जाएँ. राज्य स्तरीय निगरानी समिति की बैठक कर कानून के क्रियान्वयन पर कार्य हो।
- वनों के संरक्षण तथा प्रबंधन में स्थानीय समुदायों की पूरी भागीदारी हो तथा वन आधारित समुदाय - जैसे घुमंतू पशुपालकों और जन जातीय समुदायों की आजीएविकाओं को भी मज़बूत किया जाये - इसमें ग्राम सभा की भूमिका को मज़बूत किया जाये ।
- जन जातीय क्षेत्री में PESA कानून को पूर्ण रूप से लागू किया जाये।
- टूरिस्म को नियंत्रित किया जाये और टूरिस्म से जुड़े निर्माण ख़ास कर शहरों में निर्माण कार्यों को योजनाबद्ध तरीके से जनता और नागरिकों की भागेदारी के साथ लागू किया जाये।
- शहरी गैर कानूनी इस्मार्तों को ले कर NGT के निर्णयों का पालन किया जाये।
- ठोस कचरे के प्रबंधन के लिए और प्रदूषण को रोकने के लिए योजनायें बनाई जाएँ और प्रदूष्ण नियंत्रण बोर्ड को मज़बूत किया जाये।

हम अपील करते हैं कि इन सभी मुद्दों पर सरकार और सरकारी संस्थानों द्वारा ठोस कदम उठाये जायें ताकि हिमाचल की जनता के संवैधानिक और मूलभूत अधिकारों को सुरक्षा प्रदान हो।

आल इंडिया डेमोक्रेटिक वीमेन एसोसिएशन, बल्ह बचाओ किसान संघर्ष समिति, भगत सिंह विचार मंच, दलित शोषण मुक्ति मंच, दलित विकास संगठन, ईगैलीटेरियन ट्रेल्स, एकल नारी शक्ति संगठन, घुमंतू पशुपालक महासभा, गुज्जर कल्याण सभा, हिमाचल ज्ञान विज्ञान समिति, हिमाचल किसान सभा, हिमाचल प्रदेश वर्कर्स सॉलिडेरिटी, हिमासहल स्टूडेंट एनसेम्बल, हिमाचल वन अधिकार मंच, हिमाचल अवेकनिंग सोसाइटी, सिरमौर, हिमासहल नारी सभा, हिमालय नीति अभियान, हिमधरा पर्यावरण समूह, जागोरी ग्रामीण, जान अभियान संस्था, जन जातीय एकता मंच, करसोग जन सेवा विकास मंच, कांगड़ा नागरिक अधिकार मंच, महिला कल्याण, कुल्लू, नेशनल फेडरेशन ऑफ इंडियन वीमेन, वन बिलियन राइजिंग अभियान, पर्वतीय महिला अधिकार मंच, पीपल एक्शन फ़ॉर पीपल इन नीड, राइट तो एजुकेशन फोरम, हिमाचल, सामाजिक आर्थिक समानता के लिए जान मंच, संभावना संस्थान, स्पिति सिविल सोसाइटी, तीर्थन कंसर्वशन एंड टूरिज्म डेवलपमेंट एसोसिएशन, यंग वीमेन क्रिस्चियन एसोसिएशन